न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—81 / 2024

प्रार्थी:—

बीरबलराम पुत्र गेनाराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 04.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 546 / 505 व 808 / 469 रकबा 06.4750 व 05.0343 हैक्टेयर भूमि ग्राम देवडा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में उसका वास्तविक नाम ''बीरबलराम पुत्र गेनाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''वीराराम पुत्र गेनाराम '' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 1827 दिनांक 31.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विवादित भूमि के सहखातेदार मोहनराम के बयान कलमबद करवाया गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम '' बीरबलराम पुत्र गेनाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम देवडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 546/505 व 808/469 रकबा 06.4750 व 05.0343 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''वीराराम पुत्र गेनाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ड्राईविंग लाईसेन्स,आधार कार्ड एवं राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''बीरबलराम पुत्र गेनाराम '' की तकसीद होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''वीराराम पुत्र गेनाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी ने अपनी रिपोर्ट में बीरबलराम पुत्र गेनाराम एवं वीराराम पुत्र गेनाराम एक ही व्यक्ति होना बताया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 546/505 व 808/469 रकबा 06.4750 व 05.0343 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''वीराराम पुत्र गेनाराम'' के स्थान पर ''बीरबलराम पुत्र गेनाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:42 IST
Reason: SelfAttested